न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
नियमित जमानत आवेदन सं0–162/2026
आदेश

09.06.2026 यह नियमित जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त प्रमोद सिंह की ओर से दाखिल किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 126(2), 351(2), 352, 109, 3(5) के अधीन दर्ज दिनारा थाना कांड संख्या 90/2025 में दिनांक 29.04.2026 से कारा में है। उक्त वाद वर्तमान में श्री राकेश रंजन, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की कॉपी विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त नियमित जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री चित्तरंजन सिंह को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक बसंत सिंह अपने खेत में लगे सरसो की फसल को अपने छाटे भाई भगवान सिंह एवं दत्तक पुत्र अनिश कुमार के साथ कटवा रहा था। कुछ फसल कटवाने के बाद जब सूचक जाने लगा तो अभियुक्त अरविन्द सिंह ने सूचक गर गोली चला दी जो सूचक को नहीं लगी। सूचक भाग कर अपने घर में घुस गया। सूचक के भाई भगवान सिंह एवं दत्तक पुत्र अनिश कुमार पर अभियुक्तों ने लाठी एवं धारदार हथियार से हमला कर दिया। आगे अभियोजन का वाद यह है कि सूचक का कोई संतान नहीं था इसलिए अभियुक्तगण बार–बार सूचक को जान मारने का प्रयास करते हैं तथा अभियुक्तों के विरुद्ध एक आपराधिक वाद 209/2022 पूर्व से लंबित है।

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 448/2025 दाखिल किया गया था जिसे इस न्यायालय के द्वारा खारिज किया जा चुका है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में आपराधिक विविध वाद संख्या 25364/2026 दाखिल किया गया था, जिसे अभियुक्त के गिरफ्तार हो जाने के कारण वापस ले लिया गया था। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त का तीन आपराधिक इतिहास है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन का पूरा वाद झूठा एवं मनगढ़ंत है। प्रस्तुत वाद में

लगातार
09.06.2026

भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 को छोड़कर शेष सभी धाराएं जमानतीय है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध कोई विनिर्दिष्ट अभियोग नहीं है। उभय पक्षों के बीच वाद एवं प्रतिवाद है। आवेदक अभियुक्त को पूर्व की दुश्मनी एवं भूमि विवाद के कारण झूठा फंसा दिया गया है। इस वाद के सह अभियुक्तों को इस न्यायालय के द्वारा जमानत पर मुक्त किया गया है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 29.04.2026 से कारा में है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदक अभियुक्त के जमानत आवेदन का विरोध किया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त हैं। आवेदक अभियुक्त के अनुसार अभिलेख पर आवेदक अभियुक्त का तीन आपराधिक इतिहास है। केस दैनिकी के कंडिका 53 एवं 54 के अनुसार चिकित्सक ने चिकित्सकीय जांच के क्रम में जख्मियों के शरीर पर के जख्म को साधारण प्रकृति का पाया है। आवेदक अभियुक्त इस वाद में दिनांक 29.04.2026 से कारा में है। इस वाद में आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध अनुसंधान प्रायः पूर्ण है।

अतः एतस्मीनपूर्व वर्णित तथ्यों, वाद की परिस्थितियों एवं आवेदक अभियुक्त के द्वारा कारा में बिताई गई अवधि पर विचार करने के पश्चात यह आदेश दिया जाता है कि यदि आवेदक अभियुक्त की ओर से 7000/–रूपये की समान राशि के दो प्रतिभू सहित, विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टि के अनुसार बंधपत्र निष्पादित किया जाता हैं, तो उसे जमानत पर **मुक्त** कर दिया जायेगा।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।